

बहाल हो लाना चाहिए। कृपया पत्रिका पर आवश्यक  
काम में बहाल करें। पत्रिका की वारंट बहाल किया  
02-3-20 को पत्रिका थी।

02-3-20

दीर्घ  
रिजिस्ट्रार  
जानिके दावा दावा  
नहीं-यमानियत

वकील दादी सिंह दादी (सम हार) 1-अम  
जातिना होकर कथन किया कि दादी का परिवार 1900  
का माप दादीनामा हो चुका है। अम कानून पत्रिका  
का दाखिल दफ्तर करने हेतु पूर्णता पत्र  
की पूर्णता किया गया। पीछे पीछे अन्वेषण  
अम प्रशासनिक कर्म में प्राप्त है। अम पत्रिका  
दिनांक 03-3-20 को पत्रिका थी।

V. S.  
2/3/20

03-3-20

वकील दादी उषा दादी सिंह परिवार का  
दादीनामा खर्च से दादीनामा अम यक़ारों में  
आवे कर्तव्य कार्रवाई नही-चाहते। अम दादीनामा  
अम यक़ारों में निरवधि यक़ारों की कार्रवाई  
नही-चाहते पर यक़ारों को हल स्था पर  
दाखिल दफ्तर किया जाता है पत्रिका  
दाखिल दफ्तर से काम होकर कार्रवाई  
पत्रिका-दाखिल अन्वेषण।

उषा सिंह  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

